चिंताजनक | दो साल से 'उधार' की छत के नीचे पढ़ने को मजबूर छात्र, नए भवन का इंतजार

राशन दुकान बनी पाठशाला, जर्जर स्कूल पर लटका ताला

डिंडौरी, नवभारत 21 जुलाई। जिले के डिंडौरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम खुरपार से सरकारी शिक्षा व्यवस्था की चिंताजनक तस्वीर सामने आई है।

यहां माध्यमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर होने के कारण पिछले दो वर्षों से कक्षा 6वीं से 8वीं तक के छात्र शासकीय उचित मूल्य दुकान (राशन दुकान) में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सुरक्षा के लिहाज से स्कूल भवन पर ताला लगा दिया गया, लेकिन अब तक नए भवन का निर्माण शुरू नहीं हो सका है।

दो कमरों में लग रहीं कक्षाएं

जानकारी के अनुसार विद्यालय भवन की छत से लगातार प्लास्टर गिरने लगा था, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई थी। विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रधानाध्यापक गुलपत सिंह कुंजाम ने स्थानीय राशन दुकान संचालक से दो कमरे उपलब्ध कराए, जहां अस्थायी रूप से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।

8वीं के विद्यार्थी बरामदे में बैठ रहे

वर्तमान में कक्षा 6वीं और 7वीं के छात्र राशन दुकान के कमरों में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को बरामदे में बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। राशन दुकान के अन्य कमरों में खाद्यान्न का भंडारण किया गया है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए राशन वितरण का दिन भी रविवार निर्धारित किया गया है।

नए भवन निर्माण के लिए कई बार प्रस्ताव भेजा

बताया जा रहा है कि विद्यालय के नए भवन निर्माण के लिए कई बार प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। कलेक्टर, क्षेत्रीय विधायक सहित शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी विद्यालय का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी नए भवन निर्माण की दिशा में कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही है।

इनका कहना है

वर्तमान में जो भवन है उसकी स्थिति ठीक नहीं है और उसके लिए वार्षिक कार्ययोजना में प्रस्ताव दिया गया है। जैसे ही कार्य की स्वीकृति मिलती है तो भवन मरम्मत का कार्य किया जायेगा। साथ में मिडिल की कक्षाएं भी संचालित करवानी है। इस वजह से प्राथमिक कक्षाओं को अतिरिक्त कक्षों में संचालित किया जा रहा है।

अमित गौलिया, प्रभारी जिला समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान डिंडोरी

तालाब में नहाने गईं दो महिलाएं डूबीं, 1 की मौत

▸ युवक ने दिखाई बहादुरी दूसरी महिला की बचाई जान

डिंडौरी, नवभारत 21 जुलाई। जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरछा में मंगलवार को तालाब में नहाने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया।

दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने आई दो महिलाएं स्नान करते समय अचानक गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं। खेत में काम कर रहे एक युवक ने बिना अपनी जान की परवाह किए तालाब में छलांग लगाकर साहस का परिचय दिया। उसने कड़ी मशक्कत के बाद एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि दूसरी महिला की डूबने से मौत हो गई।

दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने गई थीं

जानकारी के अनुसार संपतिया बाई उद्दे और लक्ष्मीबाई उद्दे रिश्तेदारी में आयोजित दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम बरछा आई थीं। कार्यक्रम के दौरान दोनों महिलाएं तालाब में स्नान करने पहुंचीं, जहां अचानक गहरे पानी में जाने से वे डूबने लगीं। खेत में कार्य कर रहे युवक ने महिलाओं को संकट में देखा तो तत्काल तालाब में छलांग लगा दी। काफी प्रयास के बाद उसने लक्ष्मीबाई उद्दे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन संपतिया बाई उद्दे को नहीं बचाया जा सका।

बड़ी संख्या में ग्रामीण तालाब के पास पहुंचे

घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण तालाब पर पहुंच गए। सूचना पर शाहपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की तथा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में मर्ग कायम कर हादसे की जांच शुरू कर दी गई है।

धर्म परिवर्तन कर आरक्षण का लाभ लेने का आरोप

▸ कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, समिति गठित कर कार्रवाई की मांग

डिंडौरी, नवभारत 21 जुलाई। जिले के समनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भानपुर निवासी पवन कुमार अहिरवार ने जनसुनवाई में पत्र सौंपकर आरोप लगाया है कि गांव के अनुसूचित जाति समुदाय के कुछ लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है, लेकिन शासकीय अभिलेखों में स्वयं को हिंदू दर्शाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित व्यक्तियों का आरक्षण समाप्त करने की मांग की गई है।

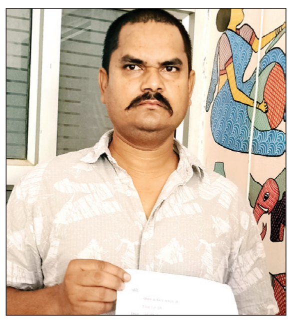

कुछ लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया- पत्र में कहा गया है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों को प्राप्त है। आरोप है कि ग्राम भानपुर के कुछ लोगों ने व्यवहारिक रूप से ईसाई धर्म अपना लिया है, जबकि शासकीय दस्तावेजों में धर्म परिवर्तन दर्ज नहीं कराया गया है और वे अनुसूचित जाति के आरक्षण सहित अन्य शासकीय सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

आवेदन में 16 व्यक्तियों के नामों का उल्लेख

आवेदन में 16 व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करते हुए आरोपों की जांच के लिए समिति गठित करने तथा तथ्य सही पाए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आरक्षण समाप्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित व्यक्तियों के परिवार के नाबालिग बच्चों ने भी ईसाई धर्म अपनाया है।

निर्धारित समय पर नहीं खुलते ब्लॉक मुख्यालय के कार्यालय

अमरपुर। शासन द्वारा शासकीय कार्यालयों के खुलने के लिए तो समय सारणी जारी कर दिया गया हैं। परंतु ब्लॉक मुख्यालय के कुछ कार्यालयों, विद्यालयों के साथ अनेकों संस्थाओं की स्थिति एक जैसी हैं। राजस्व विभाग का उपतहसील कार्यालय ब्लॉक स्तर में सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। जोकि कभी निर्धारित समय पर नहीं खुलता। इसी तर्ज पर मंगलवार के दिन भी 1:30 बजे तक कार्यालय का ताला नहीं खुला था। जहां पर क्षेत्र के किसान पहुंचकर कार्यालय खुलने का इंतजार करते रहे। तब 1:40 बजे एक कर्मचारी आकर मुख्य द्वार का ताला खोलता है। उपतहसील में हमेशा ही कर्मचारी लगभग 12:00 बजे तक ही पहुंच पाते हैं। जिससे क्षेत्र के सैकड़ों किसान परेशान होते रहते हैं।

निर्माणाधीन बंधा पुलिया के तेज बहाव में बहे दो युवक, दोनों सुरक्षित

▸ एक को ग्रामीणों ने बचाया, दूसरे ने पेड़ पकड़कर बचाई जान

नैनपुर। थाना क्षेत्र नैनपुर के अंतर्गत निवारी-मक्के-डिठौरी से मंडला मार्ग को जोडने वाली बंधा पुलिया पर देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। डिठौरी से सगोनिया की ओर जा रहे दो युवक उफनते पानी के बीच बाइक सहित पुलिया से नीचे बह गए। राहत की बात यह रही कि एक युवक को ग्रामीणों ने समय रहते बचा लिया, वहीं दूसरे युवक ने भी एक पेड़ को पकड़कर अपनी जान बचा ली। जिला प्रशासन ने रैनी सीजन में पुल, पुलिया में पानी होने के दौरान उसे पार ना करने की अपील की है।

प्रभान

रात के अंधेरे में हुआ हादसा

जानकारी अनुसार नैनपुर के बंजारा टोला निवासी प्रभान मरावी पिता गणेश मरावी और सिकंदर कुड़ापे पिता रवि कुड़ापे बाइक पर सवार होकर डिठौरी से सगोनिया जा रहे थे। वहीं सोमवार को क्षेत्र में तेज बारिश होने के कारण जल स्तर बढ़ गया। रात के समय बंधा पुलिया उफान पर आई बंधा पुलिया को पार करते समय दोनों तेज बहाव की चपेट में आ गए। तेज बहाव में बहने के दौरान प्रभान मरावी खुशकिस्मती से झाड़ियों में फंस गया, जिसे चीख-पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं सिकंदर कुड़ापे बाइक सहित पानी के तेज बहाव में बह गया। जिसके बाद युवक की तालाश की गई, लेकिन युवक का पता नहीं चला। मंगलवार सुबह पता चला कि युवक सिकंदर तेज बहाव में बहते हुए करीब दो किमी दूर स्वयं को बचाने में सफल रहा और अपनी जान बचा ली। लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए हाल ही में पीएचई कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके की स्वीकृति के बाद इस पुलिया का निर्माण कार्य शुरू किया गया था।

एक नजर में

खेलकूद और नुक्कड़ नाटक के जरिए टिकरिया पुलिस ने दिया नशामुक्ति का संदेश

नारायणगंज। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा संचालित 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के अंतर्गत टिकरिया थाना क्षेत्र में मंगलवार को खेलकूद प्रतियोगिता एवं नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। आयोजन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणगंज, कुड़ामैली, सांदीपनि टिकरिया, पड़रिया (नारायणगंज), देवहार, बबलिया, छपरा, बम्हनी भावल एवं मंगलगंज सहित आठ विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं में वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो, पिट्ठू एवं मैराथन जैसी खेल स्पर्धाएं आयोजित की गईं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों को शील्ड एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान निवास एसडीओपी प्रीतम लाल बालरे एवं थाना प्रभारी प्रदीप कुमार पांडेय ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी और समाज को नशामुक्त बनाने में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों को पम्पलेट वितरित कर नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई।

खटोला स्कूल में मध्यान्ह भोजन को लेकर मचा विवाद

▸ पुराने रसोइयों के हंगामे से परेशान स्व-सहायता समूह पहुंचा जनसुनवाई में

भुआबिछिया। बिछिया विकासखंड के ग्राम खटोला की महिलाएं जनसुनवाई में मध्यान्ह भोजन योजना में आ रही समस्याओं को लेकर कलेक्टर से शिकायत की है। रानी दुर्गावती स्व-सहायता समूह खटोला की महिलाएं इस बात से काफी परेशान हैं कि उन्हें मध्यान्ह भोजन का कार्य मिलने के बावजूद पुराने रसोइयों द्वारा लगातार विवाद खड़ा किया जा रहा है।

समूह की महिलाओं और उनके द्वारा दिए गए लिखित आवेदन में बताया गया है कि मंडला सीईओ के आदेश के तहत

ईपीईएस शाला खटोला में मध्यान्ह भोजन संचालित करने की जिम्मेदारी रानी दुर्गावती स्व-सहायता समूह को सौंपी गई है। महिलाओं का आरोप है कि पुराने रसोइयों को हटाकर नए रसोइयों को रखे जाने के स्पष्ट आदेश के बावजूद पुराने रसोइया उनके साथ लड़ाई-झगड़ा कर रहे हैं और मारपीट तक कर रहे हैं।

महिलाओं ने अपने आवेदन में बताया कि उन्होंने जनपद पंचायत बिछिया में विगत माह 24 जून को नए रसोइयों की नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन आज दिनांक तक विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जनसुनवाई में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए समूह की महिलाओं ने अपनी समस्या बताते हुए कहां कि महिलाएं पिछले एक महीने से बच्चों के लिए खाना बना रही हैं। जनपद पंचायत में कई बार दस्तावेज जमा करने के बावजूद उनके कागजात आगे मंडला नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। समूह का बैंक खाता, आधार और अन्य जानकारी अब तक योजना के तहत दर्ज नहीं की गई है। इन प्रशासनिक कमियों के कारण महिलाएं बिना किसी भुगतान के मुफ्त में काम करने को मजबूर हैं, जबकि उनके खुद के भी छोटे बच्चे हैं। शिकायत पत्र में विभागीय पत्र का हवाला देते हुए बताया गया है कि रसोइया का संबंधित संलग्न महिला स्व-सहायता समूह का सदस्य होना अनिवार्य है। इसके विपरीत पुराने रसोइयों का समूह पिछले कई वर्षों से बंद हो चुका है।

अतिक्रमण और मानदेय से जुड़े मामलों पर हुई जनसुनवाई

ग्राम पंचायत पड़रिया-2 का शाला भवन जर्जर

डिंडौरी, नवभारत 21 जुलाई। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में अपर कलेक्टर जेपी यादव ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं।

जनसुनवाई में कुल 77 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियमानुसार जांच कर समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जीपीएफ एवं जीआईएस भुगतान की मांग- जनसुनवाई के दौरान ग्राम अमगवां निवासी अहिल्या बाई झारिया ने अपने दिवंगत पति, जो पंचायत समन्वयक अधिकारी के पद पर

कार्यरत थे, के लंबित जीपीएफ एवं जीआईएस भुगतान की मांग को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर अपर कलेक्टर ने सीईओ जनपद पंचायत शहपुरा को प्रकरण की जांच कर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

विद्यार्थियों व शिक्षकों को हो रही परेशानी- ग्राम टिकरिया, ग्राम पंचायत पड़रिया-2 के ग्रामीणों एवं विद्यालय प्रबंधन ने प्राथमिक शाला भवन के अत्यधिक जर्जर होने से विद्यार्थियों और शिक्षकों को हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए नए विद्यालय भवन के निर्माण की मांग रखी। अपर कलेक्टर ने जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

ग्राम महरोई के डीपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में बवाल

▸ प्राचार्य ने कोतवाली पुलिस को की शिकायत

उमरिया नवभारत 21 जुलाई। जिले में स्थित ग्राम महरोई में संचालित डीपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल एवं प्रिंसिपल आलोक राय पर राहुल बर्मन ग्राम महरोई द्वारा झूठा आरोप लगाया गया, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में की गई है।

डीपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल संचालक प्रिंसिपल आलोक राय ने बताया कि 15 जुलाई देर रात शराब पीकर राहुल बर्मन द्वारा फोन लगाकर गाली-गलौज की। दूसरे दिन 16 जुलाई को सुबह कुछ साथियों द्वारा गाली गलौज करते

हुए हथियार के साथ विद्यालय पहुंचा। विद्यालय परिसर में घुसने के बाद भी अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। टीचर को धमकाते हुए शराब के नशे में जान से मारने की धमकी भी दी, जिसकी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद है।

गला दबाने का किया प्रयास

प्रिंसिपल ने बताया कि इसके बाद उसे धक्का देकर परिसर के बाहर करने की कोशिश की, लेकिन राहुल बर्मन ने मेरा गला दबाने का प्रयास किया और हथियार से प्रहार करने का प्रयास किया। इसी दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, जो बीच बचाव करने आया उसे भी मारने की धमकी दी, जिसके कारण स्कूल में डर का माहौल बना हुआ है।

डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती गाय की मौत

▸ पशुपालक ने एसडीएम से लगाई न्याय की गुहार

शहपुरा, नवभारत 21 जुलाई। विकासखंड शहपुरा के ग्राम कठौतिया निवासी एक पशुपालक ने मेहंदवानी पशु चिकित्सालय के चिकित्सक पर उपचार में कथित लापरवाही का आरोप लगाते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा को शिकायत सौंपकर जांच, कानूनी कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है।

शिकायतकर्ता सुरेश कुमार साहू ने अपने आवेदन में बताया कि उन्होंने वर्ष 2025 में लगभग 75 हजार रुपये की लागत से एचएफ

नस्ल की दुधारू गाय खरीदी थी। गाय सात माह की गर्भवती थी और नियमित रूप से दूध दे रही थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने 1962 पशु चिकित्सा हेल्पलाइन पर संपर्क कर उपचार की मांग की।

गर्भस्थ बछड़े की भी मौत हो गई

आवेदन के अनुसार, पशु चिकित्सालय मेहंदवानी से उन्हें फोन पर बताया गया कि संबंधित चिकित्सक शहपुरा में व्यस्त हैं और स्वयं नहीं आ पाएंगे, इसलिए एक कर्मचारी को मौके पर भेजा जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि चिकित्सक स्वयं घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। भेजे गए सहायक ने उपचार के दौरान गाय के पेट पर दबाव डाला, जिससे गर्भस्थ बछड़े की मौत हो गई। इसके बाद 14 जुलाई 2026 की सुबह करीब 9:30 बजे गाय ने भी दम तोड़ दिया।

निष्पक्ष जांच कर दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग

पीड़ित पशुपालक का कहना है कि चिकित्सक की कथित लापरवाही और कर्तव्य के प्रति उदासीनता के कारण उसे भारी आर्थिक क्षति हुई है। उन्होंने एसडीएम से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने तथा उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। फिलहाल मामले में प्रशासन की ओर से जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी। शिकायत पर संबंधित पक्ष का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी शेष है।

अनिमितता | जांच और एफआईआर की मांग, फर्जी भुगतान और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप

नगर पालिका शहपुरा में 13 .42 लाख के गबन की शिकायत

शहपुरा नवभारत 21 जुलाई। नगर परिषद शहपुरा में लगभग 13 लाख 42 हजार 797 रुपये के कथित वित्तीय गबन एवं खरीद में अनियमितताओं का मामला सामने आया है।

इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा कलेक्टर डिंडौरी, अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) शहपुरा, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर, आयुक्त नगरीय प्रशासन भोपाल तथा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

केमिकल व सफाई सामग्री की खरीदी के नाम पर निकाली राशि- ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि नगर परिषद शहपुरा द्वारा त्वदृरू पोर्टल के माध्यम से केमिकल एवं सफाई सामग्री की खरीदी के नाम पर 13,42,797 का भुगतान किया गया, जबकि संबंधित सामग्री नगर परिषद के स्टोर में प्राप्त नहीं हुई। शिकायत में दावा किया गया है कि यह जानकारी सूचना के अधिकार से प्राप्त दस्तावेजों, बैंक भुगतान अभिलेखों तथा स्टोर के आकस्मिक निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर सामने आई है।

स्टोर में इनका भौतिक सत्यापन शून्य पाया गया

ज्ञापन के अनुसार क्रेसोल रेड इंडिकेटर, टेमेफोस कीटनाशक, फिनाइल तथा टॉयलेट क्लीनिंग पाउडर सहित विभिन्न सामग्री के भुगतान किए गए, लेकिन निरीक्षण के दौरान स्टोर में इनका भौतिक सत्यापन शून्य पाया गया। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि कोविड-19 के बाद नगर परिषद द्वारा इन रसायनों का नियमित उपयोग नहीं किया गया तथा सफाई कर्मचारियों के कथित बयानों में भी इसकी पुष्टि होने का दावा किया गया है।

दोषियों से सरकारी राशि वसूल करने की मांग

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि दस्तावेजों में फर्जी भौतिक सत्यापन, कूटरचित अभिलेख तैयार कर भुगतान किए जाने तथा निविदा एवं खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि नगर परिषद के अन्य निर्माण कार्यों एवं खरीदी की भी विशेष ऑडिट कराया जाए। ज्ञापन के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से मामले की एसआईटी या उच्च स्तरीय जांच कर कथित दोषी अधिकारियों से शासकीय राशि की वसूली किए जाने की मांग की गई है।

करोड़ों की सार्वजनिक निस्तार भूमि का पता नहीं

▸ ग्रामीणों ने उठाए गंभीर सवाल, राजस्व विभाग साधे हैं चुप्पी

चिल्हारी, उमरिया। मानपुर जनपद अंतर्गत ग्राम चिल्हारी में सार्वजनिक निस्तार एवं गोठान के लिए सुरक्षित भूमि को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला कलेक्टर उमरिया द्वारा आराजी क्रमांक 1120/1 को सार्वजनिक निस्तार एवं गोठान के लिए सुरक्षित घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि का वास्तविक स्वरूप और स्थिति स्पष्ट नहीं है।

ग्रामीणों के अनुसार, संबंधित भूमि को कथित रूप से खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। आरोप है कि मूल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करते हुए कहीं और की भूमि का नक्शा तरमीम दिखाकर फर्जी तरीके से पट्टे जारी कर दिए गए। यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह सार्वजनिक संपत्ति से जुड़ा गंभीर मामला माना जाएगा।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो वे जनआंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

इन्होंने नहीं उठाया फोन

जब इस मामले को लेकर मानपुर एसडीएम हरनीत कौर से संपर्क करना चाहा तो उनका फोन रिसीव नहीं हुआ।

राजस्व विभाग की भूमिका संदेह के घेरे में

ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इस पूरे प्रकरण में राजस्व विभाग की भूमिका संदेह के घेरे में है। उनका आरोप है कि कथित रूप से मोटी रकम लेकर जिला कलेक्टर के आदेश की अनदेखी की गई और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर निजी स्वामित्व दिलाने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर उमरिया से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, राजस्व अभिलेखों का सत्यापन कराया जाए तथा यदि किसी प्रकार की अनियमितता या अवैध कब्जा पाया जाता है तो संबंधित भूमि को तत्काल अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराया जाए।